प्रेस नोट थाना पुवायाँ
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 19.08.2025

"थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा वादी के कान को अपने दांतो से काट कर अंग भंग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा वादी के कान को अपने दांतो से काट कर अंग भंग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.08.2025 को थाना पुवायाँ पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर बाबत अभियुक्त मौसम पुत्र नामालूम पता नामालूम द्वारा शराब के नशे मे वादी के साथ मारपीट करना, वादी का कान को दाँत से काट लेने तथा वादी को धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 607/2025 धारा 115(2)/118(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह द्वारा की जा रही थी दौराने विवेचना वादी व अभियुक्त के मध्य हुए विवाद में अभियुक्त ने वादी पर हमला कर उसके कान को अपने दाँतों से काट लिया, जिससे वादी के कान का एक हिस्सा अलग हो गया तथा स्थायी चोट (अंग भंग) जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 118(1) बीएनएस का लोप कर धारा 118(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 19.08.2025 की दौराने गस्त जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मदी रोड पर बने फ्लाई ओवर के पास जाने की फिराक में है। जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मुखबिर द्वारा बताये स्थान मोहम्मदी रोड पर बने फ्लाई ओवर के पास पकड़ लिया पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम मौसम उर्फ आशुतोष दीक्षित पुत्र सचिदानन्द दीक्षित उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम सिसौरा नकूमपुर, थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी बताया जो मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त है इसके जुर्म मु0अ0सं0 607/2025 धारा 115(2)/118(2)/351(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 13.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

मौसम उर्फ आशुतोष दीक्षित पुत्र सचिदानन्द दीक्षित उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम सिसौरा नकूमपुर, थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 607/2025 धारा 115(2)/118(2)/351(2) बीएनएस, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह

हे0का0 401 सुनील कुमार सिंह

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 607/2025 धारा 115(2)/118(2)/351(2) बीएनएस थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 233/2023 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 0756/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 भादवि व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी।
4. मु0अ0सं0 74/2022 धारा 323, 324, 504 भादवि थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी।
5. मु0अ0सं0 56/2022 धारा 323, 506 भादवि थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी।
6. मु0अ0सं0 56/2022 धारा 323, 498-A, 504, 506 भादवि व 3, 4 डीपी एक्ट महिला थाना, जनपद लखीमपुर खीरी ।